



2026:AHC-:27334-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **2628 / 2026**

उपेंद्र सिंह एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सचिन मलिक

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए., रौनक चतुर्वेदी

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (A.G.A.), प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री रौनक चतुर्वेदी को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. प्रारंभ में ही, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि वह इस रिट याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।

3. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(अचल सचदेव, जे.) (राजीव गुप्ता, जे.)

5 फरवरी, 2026

केएस

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"